



झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण झारखण्ड राँची।

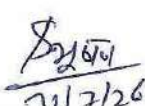
आ0सं0-05/प्रशि0(स्था0)-31/2024-937 राँची, दिनांक:- 31/07/2026

आदेश

निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), झारखण्ड, राँची के अधीनस्थ कार्यालयों/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पदस्थापित लिपिकीय सम्वर्ग के कर्मियों को कार्यहित एवं प्रशिक्षण हित में एवं वित्त विभाग के पत्रांक-को0सां0वि0निदे0(को0स्था0)(2)-12/26-252, दिनांक-28.04.2026 के आलोक में आवश्यकतानुसार स्थानान्तरण/पदस्थापन हेतु दिनांक-31.07.2026 को स्थापना समिति के द्वारा सम्यक विचारोपरान्त अनुशसित कर्मियों को उनके नाम के समक्ष कार्यालयों/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक स्थानान्तरित किया जाता है:-

लिपिक संवर्ग

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम/पदनाम/व्यवसाय	वर्तमान पदस्थापन संस्थान/कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु	अभियुक्ति
1.	श्री महेन्द्र कुमार गुप्ता, प्रधान लिपिक	क्षेत्रीय निदेशालय, दुमका	औ0प्रशि0सं0, दुमका	
2.	श्री प्रहलाद कुमार, प्रधान लिपिक	म0औ0प्र0सं0, खूँटी	—	सामान्य, राँची की प्रतिनियुक्ति रद्द
3.	श्री संजय कुमार सिंह, प्रधान लिपिक	औ0प्र0सं0, देवघर	औ0प्र0सं0(कल्याण), राँची	अभ्यावेदन
4.	श्री मोहित कुमार त्रिपाठी, प्रधान लिपिक	औ0प्र0सं0(कल्याण), राँची	एल0डब्ल्यू0ई0 औ0प्र0सं0, हेहल(राँची)	
5.	श्री दीपक कुमार सिंह, प्रधान लिपिक	औ0प्र0सं0, हजारीबाग	औ0प्र0सं0, बरही (हजारीबाग)	
6.	श्री अभय कुमार, प्रधान लिपिक	औ0प्र0सं0, चाईबासा	एल0डब्ल्यू0ई0 औ0प्र0सं0, घाटशिला	अभ्यावेदन
7.	श्री गोपाल कुमार सिंह, प्रधान लिपिक	औ0प्र0सं0, बोकारो	एल0डब्ल्यू0ई0 औ0प्र0सं0, कैथा (रामगढ़)	
8.	श्री बिरेन्द्र सिंह, प्रधान लिपिक	औ0प्र0सं0, चुरचू (हजारीबाग)	औ0प्र0सं0, कोडरमा	अभ्यावेदन
9.	श्री प्रेम कुमार, प्रधान लिपिक	औ0प्र0सं0, बरही (हजारीबाग)	औ0प्र0सं0, कुडू (लोहरदगा)	
10.	श्री रघुनाथ चौधरी, प्रधान लिपिक	औ0प्र0सं0, डुमरी (गिरिडीह)	औ0प्र0सं0, चन्दनक्यारी (बोकारो)	अभ्यावेदन
11.	श्री अमरजीत कुमार, प्रधान लिपिक	औ0प्र0सं0, बाघमारा (धनबाद)	औ0प्र0सं0, गोविंदपुर (धनबाद)	
12.	श्री पंकज कुमार, प्रधान लिपिक	औ0प्र0सं0, गोविंदपुर (धनबाद)	औ0प्र0सं0, बाघमारा (धनबाद)	





13.	श्री महेन्द्र प्रसाद, प्रधान लिपिक	औ0प्र0सं0, जरमुण्डी (दुमका)	औ0प्र0सं0, सरैयाहाट(दुमका)	
14.	श्री सरोज कुमार डे, प्रधान लिपिक	औ0प्र0सं0, सरैयाहाट (दुमका)	औ0प्र0सं0, जरमुण्डी (दुमका)	
15.	श्री दीपक कुमार ठाकुर, उच्च वर्गीय लिपिक	औ0प्र0सं0(सामान्य), राँची	औ0प्र0सं0, बोकारो	
16.	श्री संजय कुमार, उच्च वर्गीय लिपिक	औ0प्र0सं0, धनबाद	औ0प्र0सं0, देवघर	
17.	श्री पुरुषोत्तम कुमार एराज, उच्च वर्गीय लिपिक	म0औ0प्र0सं0, खूँटी	एल0डब्ल्यू0ई0 औ0प्र0सं0,बानो(सिमडेगा)	
18.	श्रीमती अर्चना कुमारी, निम्न वर्गीय लिपिक	औ0प्र0सं0(सामान्य), राँची	औ0प्र0सं0, कुडू (लोहरदगा)	
19.	श्रीमती शालु प्रिया, निम्न वर्गीय लिपिक	म0औ0प्र0सं0, दुमका	क्षेत्रीय निदेशालय, दुमका	
20.	श्री मुन्ना कुमार भारती, निम्न वर्गीय लिपिक	औ0प्र0सं0, डालटेनगंज	औ0प्र0सं0, सरबरवा(पलामू)	
21.	श्री अमित रंजन, निम्न वर्गीय लिपिक	औ0प्र0सं0, बोकारो	औ0प्र0सं0, हजारीबाग	
22.	श्री पल्लव रवि लिण्डा, निम्न वर्गीय लिपिक	औ0प्र0सं0, चाईबासा	औ0प्र0सं0, खरसावाँ	
23.	श्री अनुराग तोपनो, निम्न वर्गीय लिपिक	म0औ0प्र0सं0, हजारीबाग	औ0प्र0सं0, चुरचू (हजारीबाग)	
24.	श्री बैलून चालक, निम्न वर्गीय लिपिक	औ0प्र0सं0, दुमका	एल0डब्ल्यू0ई0 औ0प्र0सं0, शिकारीपाड़ा (दुमका)	
25.	श्री संदीप खलखो, निम्न वर्गीय लिपिक	औ0प्र0सं0, खरसावाँ	औ0प्र0सं0, चाईबासा	
26.	श्रीमती सबिता कुमारी मुर्मू / निम्न वर्गीय लिपिक	औ0प्र0सं0, धनबाद	औ0प्र0सं0, बाघमारा (धनबाद)	
27.	श्री अमन कुमार, निम्न वर्गीय लिपिक	औ0प्र0सं0, जमशेदपुर	औ0प्र0सं0, बहरागोड़ा (पूर्वी सिंहभूम)	
28.	श्री अधिराज, निम्न वर्गीय लिपिक	औ0प्र0सं0, गिरिडीह	म0औ0प्र0सं0, हजारीबाग	
29.	श्रीमती बगिशा देवी, निम्न वर्गीय लिपिक	औ0प्र0सं0, पाकुड़	औ0प्र0सं0, जामताड़ा	
30.	श्री गजेन्द्र कुमार, निम्न वर्गीय लिपिक	औ0प्र0सं0, कोडरमा	औ0प्र0सं0, चुरचू(हजारीबाग)	
31.	श्री प्रदीप कुमार मांझी, निम्न वर्गीय लिपिक	औ0प्र0सं0, गुमला	औ0प्र0सं0, घाघरा (गुमला)	
32.	श्री निरंजन कुमार, निम्न वर्गीय लिपिक	औ0प्र0सं0, हुसैनाबाद (पलामू)	औ0प्र0सं0, छत्तरपुर (पलामू)	
33.	सुश्री अर्चना कुमारी सिंह, निम्न वर्गीय लिपिक	म0औ0प्र0, देवघर	औ0प्र0सं0, मधुपुर (देवघर)	

8/2/26
31/7/26

Ag- P

1. सभी प्रभारी प्राचार्य 16 अगस्त, 2026 तक निश्चित रूप से अपने अधीनस्थ संबंधित कर्मियों को स्थानान्तरित कार्यालयों/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में योगदान करने हेतु विरमित करते हुए निदेशालय को संसुचित करना सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा वे निर्धारित तिथि से स्वतः विरमित समझे जाएँगे।
2. अभ्यावेदन के आधार पर स्थानान्तरित कर्मियों को स्थानान्तरण भत्ता देय नहीं होगा।
3. स्थानान्तरित कर्मियों का माह अगस्त, 2026 के वेतनादि का भुगतान स्थानान्तरित कार्यालय/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से देय होगा।
प्रस्ताव पर निदेशक का अनुमोदन प्राप्त है।


उप निदेशक प्रशिक्षण(मु0)

निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण,

झारखण्ड, राँची।
8/2/26
31/7/26

ज्ञापांक:-05/प्रशि0(स्था0)-31/2024-937

राँची, दिनांक:-31/07/26

प्रतिलिपि:-सभी संबंधित कौषागार पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


उप निदेशक प्रशिक्षण(मु0)

निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण,

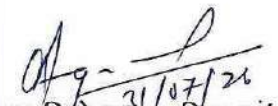
झारखण्ड, राँची।
8/2/26
31/7/26

ज्ञापांक:-05/प्रशि0(स्था0)-31/2024-937

राँची, दिनांक:-31/07/26

प्रतिलिपि:-सचिव के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण(प्रशिक्षण पक्ष), झारखण्ड, राँची के सभी पदाधिकारियों/सभी संबंधित प्रभारी प्राचार्यों/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों/निदेशालय, स्थापना पटल(प्रशिक्षण पक्ष) एवं बजट पटल(प्रशिक्षण पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सभी संबंधित प्रभारी प्राचार्यों को निदेश दिया जाता है कि वे अपने अधीनस्थ संबंधित कर्मियों को अपने स्तर से स्थानान्तरण आदेश की प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।


उप निदेशक प्रशिक्षण(मु0)

निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण,

झारखण्ड, राँची।
8/2/26
31/7/26